संख्या: 1:05:138 :आई:सीएस
दिनांक: 27 दिसंबर, 2023

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

विषय : पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों का हस्तांतरण

महोदया/महोदय,

सूचित किया जाता है कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को 27 दिसंबर, 2023 को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया गया है। उक्त लेनदेन से संबंधित अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

1. राजस्थान आरईजेड फेज-IV (भाग-1) (बीकानेर परिसर) भाग-सी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के विकास हेतु स्थापित **बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड** को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है।

2. राजस्थान आरईजेड फेज-IV (भाग-1) (बीकानेर परिसर) भाग-ख से विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली के विकास के लिए स्थापित **नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड** को स्टरलाइट ग्रिड 32 लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है।

क्र. स.	**विवरण**	**विवरण**	
		बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड	**नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड**
1.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध एंटिटी की ऐसी इकाई या प्रभाग द्वारा अंशदान किए गए टर्नओवर या राजस्व या आय और नेटवर्थ की राशि और प्रतिशत।	नगण्य	
2.	वह तारीख जब बिक्री हेतु करार किया गया।	उक्त एसपीवी की बिक्री और सफल बोलीदाता(ओं) को हस्तांतरण की प्रक्रिया 27.12.2023 को पूरी हो गई।	
3.	बिक्री/निपटान के पूरा होने की अनुमानित तिथि।		
4.	बिक्री/निपटान से प्राप्त प्रतिफल।	शेयर खरीद करार के अनुसार 18,60,53,101/-रु.	शेयर खरीद करार के अनुसार 18,59,09,000/-रु.

<table>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td rowspan="3">क्रेता का संक्षिप्त विवरण तथा क्या क्रेता प्रमोटर/ प्रमोटर समूह/ समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो उसका विवरण।</td><td colspan="2">सफल बोलीदाता का नाम:</td></tr>
<tr><td>टाटा पावर कंपनी लिमिटेड</td><td>स्टरलाइट ग्रिड 32 लिमिटेड</td></tr>
<tr><td colspan="2">यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>क्या यह लेन-देन संबंधित पक्षकार लेन-देन के अंतर्गत आएगा? यदि हाँ, तो क्या यह लेन-देन "आर्मस लेंस" पर किया गया है।</td><td colspan="2">यह लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन के दायरे में नहीं आता है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>क्या लेन-देन स्लम्प सेल की प्रकृति का है।</td><td colspan="2">उपर्युक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की उपर्युक्त पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों की बिक्री और सफल बोलीदाता को हस्तांतरण का प्रस्ताव, स्लम्प सेल की प्रकृति का नहीं है।

इसके अतिरिक्त, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण के लिए विचार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।</td></tr>
</table>

आपकी जानकारी एवं आगामी प्रसार हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
mk_agarwal@pfcindia.com